सत्र प्रकरण कमांक 09/2020 **पक्षकार :– शासन वि. रेशमा साहू**

Witness No. ....09... for.....अभियोजन साक्षी क्र0 .... Deposition taken

the ....02-03-2020.....day of …......मंगलवार...Witness,sapparent age.............44...............

States on affirmation ....शपथ पर. My name is .. सुश्री मंजूलता राठौर................................

D of … स्व. एन.आर. राठौर....................................Occupation .... निरीक्षक
address .... थाना डीडी नगर रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.)

साक्ष्य प्रारंभ :– 12:45

1– मैं दिनांक 07.10.19 से थाना डीडी नगर में निरीक्षक के पद पर पदस्थ हूॅ। दिनांक 21.11.2019 को आवेदक मनोहर लाल साहू ने आरोपिया रेशमा साहू के विरूद्ध दो माह के बच्चे को जान से मारने की नीयत से खारून नदी में फेंकने की रिपोर्ट दर्ज करायी थी, जिस पर मैंने आरोपिया के विरूद्ध प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी–01 के अनुसार दर्ज किया था, जिसके ब से ब भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

2– दिनांक 22.11.19 को घटना स्थल पर घटना स्थल का निरीक्षण का प्रार्थी के निशानदेही पर साक्षियों के समक्ष घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी–02 के अनुसार तैयार की थी, जिसके ब से ब भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। दिनांक 21.11.19 को प्रार्थी के बच्चे कृष्णा साहू का डॉ. मुलाहिजा फार्म भरकर वात्सल्य अस्पताल रायपुर भेजी थी। मुलाहिजा फार्म **<u>प्रदर्श पी–13</u>** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

3– दिनांक 21.11.19 को प्रार्थी मनोहर साहू, गवाह राकेश देशलहरे, पप्पू जोशी, पल्लव देवांगन, प्रवीण सारंग एवं जुगल किशोर सोनी का कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध की थी। इसी दिनांक को आरोपिया को विधिवत् गिरफ्तार की थी। गिरफ्तारी पत्रक **<u>प्रदर्श पी–14</u>** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। गिरफ्तारी की सूचना आरोपिया के परिजन को दी थी। गिरफ्तारी की सूचना **<u>प्रदर्श पी–15</u>** है, जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

4– दिनांक 25.11.19 को आहत कृष्णा साहू का एमएलसी रिपोर्ट एवं बैड हैड टिकट प्रदान करने हेतु संचालक वात्सल्य अस्पताल रायपुर को तहरिर **<u>प्रदर्श पी–16</u>** के अनुसार दी थी, जिसके अ स अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। उक्त रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न है। इसी दिनांक को घटना स्थल का पटवारी नक्शा प्रदान करने हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरिर **<u>प्रदर्श पी–17</u>** के अनुसार लिखी थी, जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

5– दिनांक 22.11.19 को आरोपिया का डॉक्टरी मुलाहिजा कराये जाने बाबत् तहरिर **<u>प्रदर्श पी–18</u>** का जिला अस्पताल रायपुर को लिखी थी, जिसके अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है। दिनांक 30.11.19 को गवाह पल्लव देवांगन, राकेश देशहलहरे, प्रवीण सारंग, पप्पू जोशी को धारा 160 द.प्र.सं. के तहत् नोटिस दी थी, जो क्रमशः प्रदर्श पी–04, **<u>प्रदर्श पी–19</u>**, प्रदर्श पी–06, **<u>प्रदर्श पी–20</u>** है, जिसके क्रमशः ब से ब, अ से अ, ब से ब, अ से अ भाग पर मेरा हस्ताक्षर है।

6— दिनांक 21.11.19 को आरोपिया का कथन उसके बताये अनुसार लेखबद्ध की थी। प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र पेश की थी।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री नीरज गुप्ता अधिवक्ता वास्ते अभियुक्ता</u>

7— यह कहना गलत है कि, मैंने नजरी—नक्शा प्रदर्श पी—02 में जब प्रार्थी से हस्ताक्षर करवाया था, तब वह कोरा था। यह कहना गलत है कि, मैं प्रदर्श पी—02 का नक्शा थाना में बैठकर तैयार की है। यह कहना गलत है कि, मैंने प्रदर्श पी—02 पर प्रार्थी के हस्ताक्षर घटना दिनांक के एक से डेढ़ माह बाद हस्ताक्षर करवाये थे। यह कहना गलत है कि मैंने प्रथम सूचना पत्र प्रदर्श पी0—1 को अपने मन से बढ़ा चढ़ाकर दुर्घटना को अपराध बनाने के लिये दर्ज किया है।

8— यह कहना गलत है कि मैंने प्रार्थी और गवाहों के कथन भी अपने मन से बढ़ा—चढ़ाकर दुर्घटना को अपराध बनाने के उद्देश्य से लेखबद्ध कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है। यह कहना सही है कि मैने इस प्रकरण में पटवारी का नक्शा संलग्न किया है लेकिन पटवारी को नक्शा बनाने के लिये पत्र की पावती संलग्न नहीं की है। साक्षी स्वतः कहा कि पटवारी नक्शा हेतु तहरीर तहसीलदार को प्रेषित की जाती है। तहसीलदार द्वारा पटवारी को पत्र प्रेषित किया जाता है जिसके द्वारा घटना स्थल का नक्शा तैयार किया जाता है। तहसीलदार की पावती प्रकरण में संलग्न है।

9— यह कहना गलत है कि, मैने पटवारी से घटना स्थल का नक्शा अपने थाने के पुलिस वाले के द्वारा पटवारी को फोन लगवाकर बनवाया है और इस प्रकरण में संलग्न किया है। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत चालान में श्री वात्सल्य हास्पिटल की असल दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया है बल्कि डॉक्टर द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों को प्रस्तुत किया गया है। यह कहना गलत है कि, मेरे द्वारा आरोपी को झूठा फंसाने के लिये उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर न्यायालय में चालान पेश किया है।

साक्ष्य समाप्त :— 01:15

वाचित/स्वीकृत ।

सही/—
(बी.आर. साहू)
षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर, छ0ग0

मेरे निर्देशन में टंकित।

सही/—
(बी.आर. साहू)
षष्ठम् अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर, छ0ग0